



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1940 (श10)

(सं0 पटना 276) पटना, सोमवार 26 मार्च 2018

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

26 मार्च 2018

एस0 ओ0 159 दिनांक 26 मार्च 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (एतश्मिन पश्चात् अधिनियम) की धारा 173 की उपधारा (1) के खंड (ग) के द्वारा बिहार होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 के निरसित होने के बावजूद, अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खंड (ग) के परन्तुक के अधीन, बिहार होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 की धारा 3क, सह-पठित अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खंड (ग), के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, यह स्पष्ट करते हैं कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका 2 के खंड (viii) के उपखंड (क) के तहत प्रोत्साहन के रूप में, बिहार विलासिता कर अधिनियम, 1988 के अधीन निर्गत वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 53 दिनांक 20.07.2007 द्वारा प्रदत्त सात वर्षों तक की 100% कर विमुक्ति, वैसे नव-निर्मित होटलों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने अपना व्यवसाय दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.06.2011 के बीच शुरू किया हो।

परन्तु यह कि जिन इकाईयों द्वारा इस अवधि में ग्राहकों से कर की वसूली कर ली गयी है, उन्हें वसूले गये कर को सरकारी कोषागार में जमा करना होगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर विविध-115/2017-865)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव।

26 मार्च 2018

एस0 ओ0 159 दिनांक 26 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर विविध-115/2017-865)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव।

*The 26<sup>th</sup> March 2018*

S.O. 159, dated 26<sup>th</sup> March 2018—Notwithstanding the repeal of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 vide clause (c) of sub-section (1) of Section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act hereinafter) and subject to the proviso to clause (c) of sub-section (1) of Section 174 of the Act, in exercise of the powers conferred by Section 3A of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 read with clause (c) of sub-section (1) of Section 174 of the Act, the Governor of Bihar clarifies that 100% tax exemption under Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 granted for seven years vide Commercial Taxes Department notification no. S.O. 53 dated 20.07.2007, as incentive under sub-clause (a) of Clause (viii) of para 2 of the Bihar Industrial Incentive Policy, 2006 shall stand extended to cover the hotels which started operations between the period 01.04.2011 to 30.06.2011.

Provided that tax collected during this period by such hotels from the costumers shall have to be deposited in Government Treasury.

[(File No. Bikri-kar/Vividh-115/2017-865)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,  
*Principal Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 276-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>